

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

(वित्त मंत्रालय के दिनांक 20.11.1965 के कार्या. जा. सं. एफ2 (37)-ई. III (बी)/64 के अनुलग्नक II-क और II-ख में निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रतिस्थापन में)

₹1069/- वार्षिक अथवा उससे अधिक वेतन आहरित करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, या ₹1069/- प्रतिमाह से कम वेतन आहरित करने वाले ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो ₹1069/- प्रतिमाह के वेतन के संदर्भ में **मकान किराया भत्ता** (एचआरए) का दावा कर रहे हों, द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र।

दिनांक 25.2.1977 के कार्या. जा. सं. 11017/1/ई. II 8/75 के पैरा-I के संदर्भ में

1. मैं प्रमाणित करता/ती हूँ कि मैंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी आवास के लिए आवेदन किया है, लेकिन मुझे उस अवधि के दौरान सरकारी आवास प्रदान नहीं किया गया है, जिसके लिए मैंने मकान किराया भत्ता का दावा किया है।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं किराए पर लिए गए/अपने/अपनी पत्नी/ पति/ बेटे/ बेटी/ पिता/ मां/ हिंदू अविभाजित परिवार के स्वामित्व वाले घर में रह रहा/रही हूँ जिसमें मैं सह-भागीदार हूँ और जिसमें मैं रह रहा/रही हूँ, जैसाकि दिनांक 27 नवंबर, 1985 के कार्या. जा. सं. एफ. 2 (37)/ई. आई. आई.-80/64 के पैरा 7 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रमाणित है।
3. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं कुछ राशि किराए के रूप में खर्च कर रहा/रही हूँ
किराए के रूप में दे रहा/रही हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे स्वामित्व वाले/हिंदू अविभाजित परिवार के स्वामित्व वाले घर का किराया मूल्य एवं संपत्ति कर, जिसमें मैं एक सह-भागीदार हूँ और जिसमें मैं रह रहा हूँ, कार्या. जा. के पैरा-7 में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुरूप है।

4. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं अपने माता-पिता/बच्चे (राज्य/ केंद्रीय सरकार द्वारा, एक स्वायत्त/ सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका या पत्तन न्यास आदि) द्वारा किसी अन्य मुफ्त में आवंटित सरकारी आवास को साझा नहीं कर रहा/रही हूँ।
5. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी/बच्चे/माता-पिता मेरे साथ रहते हैं, केंद्रीय/राज्य सरकार, स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठनों जैसे नगरपालिका, पत्तन न्यास आदि के किसी अन्य कर्मचारी को आवंटित आवास साझा कर रहे हैं, उन्हें केंद्र/राज्य सरकार, स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगरपालिका, बंदरगाह न्यास आदि से घर का किराया भत्ता प्राप्त कर रहे/रही हैं/ नहीं कर रहे हैं।
6. मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी पत्नी/पति को केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त लोक उपक्रमों या अर्थ सरकारी संगठनों जैसेकि नगरपालिका पत्तन न्यास द्वारा आवास आवंटित नहीं किया गया है।
7. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं _____ पते पर रह रहा/रही हूँ, जो एक सरकारी/निजी आवास है।

दिनांक :

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

यदि सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास का पात्र नहीं है तो कोष्ठकों में दर्शाए गए वाक्यों को काट दें या यह दिनांक 27.11.65 के कार्यालय जापन के 4 (बी) के उपबंधों के अधीन आता है या दिनांक 25.2.1977 के वित्त मंत्रालय के का.जा.सं. 11011/1/ई-II (बी) 75 की शर्तों में मकान किराया भत्ता हेतु पात्रता के लिए सरकारी आवास हेतु उन्हें आवेदन करने में आपत्ति नहीं है।

सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने आवास या एक अविभाजित हिन्दू परिवार जिसमें कि वह सहयोगी है, द्वारा भरा जाए।

उन सरकारी कर्मचारियों द्वारा भरा जाए जिनकी पत्नी, पति, पुत्र, पिता या माता को सरकारी आवास मिला है और वह उनके साथ रह रहे हैं।